

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक प. 27(9) न्याय/2019 पार्ट - III

जयपुर, दिनांक : 31.03.2022

::आज्ञा::

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के परिपत्र दिनांक 09.03.2019 के क्रम में विधि विभाग की अधिसूचना/नियम/अधिनियम व अन्य सभी दस्तावेजों का राजपत्र में प्रकाशन परम्परागत मुद्रण प्रणाली की बजाएँ राज ई-गजट मोड्यूल (REAMS - Rajasthan e- archival management system) से किये जाने हेतु श्री अंकित रमन, संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से,


(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव विधि विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, (प्रारूपण), विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, (विधायी प्रारूपण), विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, (विधि रचना संगठन), विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, (विधि), विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव